संख्या- 10 /2020/ 75 /नौ-9-2020-240ज/19

प्रेषक,

राजीव शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग- 9 लखनऊ : दिनांक 21 जनवरी, 2020

विषय- वाद संख्या- 863/2017 : श्री रामसेवक, 864/2017: श्री इन्द्र सेन एवं 268/2016: श्रीमती इन्दु शाह आदि बनाम प्रबंध निदेशक, लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज् लि0 लखनऊ में मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14-12-2019 के अनुपालन में धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 14यूटीडी/19-4यू0टी0डी0/15, दिनांक 06-01-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित समर्पित नगरीय परिवहन निधि (डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड) की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 08-08-19 के कार्यवृत्त के प्रस्ताव-7 के क्रम में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत "02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड में अन्तरण" मद में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से वाद संख्या- 863/2017 : श्री रामसेवक, 864/2017: श्री इन्द्र सेन एवं 268/2016: श्रीमती इन्दु शाह आदि बनाम प्रबंध निदेशक, लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज् लि0 लखनऊ में मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14-12-2019 के अनुपालन में धनराशि रू0 11,70,000 (रू0 ग्यारह लाख सत्तर हजार मात्र) के भुगतान हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड प्रबन्ध समिति द्वारा संस्तुत धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार निधि के खाते में रखी धनराशि से आहरित कर किया जायेगा।

(2) डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड प्रबन्ध समिति द्वारा संस्तुत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गई है तथा समिति की संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड प्रबन्ध समिति द्वारा संस्तुत धनराशि के उपभोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0/ नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति उ0प्र0 समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली- 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत निहित उद्देश्यों के तहत निर्गत की जा रही है। अत: संदर्भित नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन संबंधित सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड/नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

A.K. Mangal Go

(5) यदि डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड प्रबन्ध समिति द्वारा संस्तुत धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों में बचत होती है, तो बचत की धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों में शासन की अनुमति के बिना नही किया जायेगा।

(6) निधि से स्वीकृत धनराशि का लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख-रखाव रखा जायेगा तथा वार्षिक लेखा विवरण नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी,जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों पर किसी प्रकार का विचलन हो , तो संबंधित वित्त् नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना, पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय एवं वित्त विभाग को दी जायेगी।

(8) यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1-2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजीव शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या- 10 /2020/ 75 /नौ-9-2020-240ज/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- अध्यक्ष/ मण्डलायुक्त, सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, लखनऊ, उ0प्र0।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6- निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ वित्त नियंत्रक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम लिमिटेड, लखनऊ।
8- सहायक निदेशक(लेखा)/वित्त नियंत्रक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।
9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय- नियत्रंक) अनुभाग-9/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2।
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(राजीव शर्मा)
विशेष सचिव।

A.K. Mangal Gu

(5) यदि डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड प्रबन्ध समिति द्वारा संस्तुत धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों में बचत होती है, तो बचत की धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों में शासन की अनुमति के बिना नही किया जायेगा।

(6) निधि से स्वीकृत धनराशि का लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख-रखाव रखा जायेगा तथा वार्षिक लेखा विवरण नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी,जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों पर किसी प्रकार का विचलन हो , तो संबंधित वित्त् नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना, पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय एवं वित्त विभाग को दी जायेगी।

(8) यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1-2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजीव शर्मा)
विशेष सचिव ।

संख्या- 10 /2020/ 75 /नौ-9-2020-240ज/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3- अध्यक्ष/ मण्डलायुक्त, सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, लखनऊ, उ0प्र0 ।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ, उ0प्र0 ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ ।
6- निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ वित्त नियंत्रक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम लिमिटेड, लखनऊ ।
8- सहायक निदेशक(लेखा)/वित्त नियंत्रक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ ।
9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज ।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
11- वित्त (व्यय- नियत्रंक) अनुभाग-9/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

आज्ञा से,

(राजीव शर्मा)
विशेष सचिव ।

A.K. Mangal-So

(6) निधि से स्वीकृत धनराशि का लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख-रखाव रखा जायेगा तथा वार्षिक लेखा विवरण नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी,जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों पर किसी प्रकार का विचलन हो , तो संबंधित वित्त् नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना, पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय एवं वित्त विभाग को दी जायेगी।

(8) यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1-2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
19/8/19
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-227/2019/1499/नौ-9-19-02ज/2019 टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3- अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा–मथुरा, उ0प्र0 ।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा–मथुरा, उ0प्र0 ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ ।
6- निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ वित्त नियंत्रक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम लिमिटेड, लखनऊ ।
8- सहायक निदेशक(लेखा)/वित्त नियंत्रक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ ।
9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज ।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
11- वित्त (व्यय- नियत्रंक) अनुभाग-9/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

आज्ञा से,
19/8/19
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

A.K. Mangal Go